नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी

मंत्रालय, डी.के.एस. भवन के महानदी द्वार के पास रायपुर, (छत्तीसगढ़)

दूरभाष 0771– 4066011 फैक्स 406618, ई–मेल : ceo@nayaraipur.com, वेब साइट – www.nayaraipur.com

नया रायपुर मंत्रालय परिसर में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को दुकानों का आबंटन

क्रं 6428/478/9–सीईपी/एनआरडीए/2012 रायपुर, दिनांक 17.10.2012

नया रायपुर मंत्रालय परिसर में नया रायपुर परियोजना प्रभावित व्यक्तियों से मासिक किराये पर लाइसेंस के आधार पर पॉच दुकानों के आबंटन हेतु दिनांक 30.10.2012 के अपराह्न 4.00 बजे तक निर्धारित प्ररूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन का प्ररूप, नियम एवं शर्ते एनआरडीए के वेबसाइट **www.nayaraipur.com** से डाउन लोड किये जा सकते है। संशोधन, यदि कोई हो तो वे केवल वेबसाइट पर अपलोड किये जावेंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

विज्ञापन क्रमांक 6428/478/9–सीईपी/एनआरडीए/2012 रायपुर, दिनांक 17.10.2012

नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी

मंत्रालय, डी.के.एस. भवन के महानदी द्वार के पास रायपुर, (छत्तीसगढ़)

दूरभाष 0771– 4066011 फैक्स 406618, ई–मेल : ceo@nayaraipur.com, वेब साइट – www.nayaraipur.com

नया रायपुर मंत्रालय परिसर में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को दुकानों का आबंटन

क्र 6428 / 478 / 9–सीईपी / एनआरडीए / 2012 **रायपुर, दिनांक 17.10.2012**

नया रायपुर मंत्रालय परिसर में नया रायपुर परियोजना प्रभावित व्यक्तियों से मासिक किराये पर लाइसेंस के आधार पर पॉच दुकानों के आबंटन हेतु दिनांक 30.10.2012 के अपराह्न 4.00 बजे तक निर्धारित प्ररूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

2. दुकानों का विवरण निम्नानुसार है –

दुकान क्र.	निर्धारित प्रयोजन
डी 1	मिल्क पार्लर (दुग्ध उत्पाद, कोल्डड्रिंक / फल सहित)
डी 3	एसटीडी–पीसीओ / फैक्स / फोटोकापी, बुक बाइण्डिंग
डी 6	जनरल स्टोर
डी 7	स्टेशनरी, बुकस् दुकान आईएसडी–एसटीडी–पीसीओ / फैक्स
डी 10	सैलून / फोटो स्टुडियो / मोबाईल

नक्शा अनुसूची–1 पर संलग्न है।

3. दुकानों का आबंटन नया रायपुर परियोजना प्रभावित व्यक्तियों से प्राप्त आवेदन के आधार पर किया जावेगा। एक परिवार से केवल एक ही आवेदन पर विचार किया जावेगा।

4. उपरोक्त दुकानों में से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विधवा एवं परित्यक्त महिला एवं निःशक्त जन को पात्रता के अनुसार आबंटन में प्राथमिकता दी जावेगी।

5. दुकानों का आबंटन कलेक्टर, रायपुर द्वारा निर्धारित मासिक किराया पर लाइसेंस पर किया जावेगा। लाइसेंस की अवधि तीन वर्ष होगी। उसके बाद पुनः तीन वर्षो के लिए किराये में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए लाइसेंस का नवीनीकरण किया जा सकेगा।

6. तीन माह का किराया अग्रिम रूप से अमानत राशि के रूप में जमा करना होगा लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर बकाया राशि के समायोजन के बाद शेष राशि वापस की जावेगी।

7. दुकान का किराया अग्रिम रूप से प्रत्येक माह की 10 वीं तारीख के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। विलंब होने पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विलंब शुल्क के साथ बकाया राशि जमा करना होगा। तीन माह से अधिक का किराया बकाया होने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जावेगा।

8. दुकान केवल निर्धारित प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाया जावेगा। निर्धारित प्रयोजन से अन्य प्रयोजन में उपयोग करना पाये जाने पर दुकान का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।

9. आबंटिती को विद्युत फीटिंग और बिजली बिल स्वयं वहन करना होगा। साफ सफाई, जल प्रदाय एवं सिवरेज तथा अन्य यूजर्स चार्जेस का भुगतान समय पर करना होगा।

10. जिस व्यक्ति को दुकान का आबंटन किया गया है, उसे स्वयं दुकान चलाना होगा। आबंटिती द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उपकिराये पर या अन्यथा किसी प्रकार से दुकान का हस्तांतरण करना पाया गया तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जावेगा।

11. किन्ही कारणों से लाइसेंस निरस्त कर दिये जाने पर या लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाने पर आबंटिती को दुकान खाली कर वापस सौपना होगा।

12. आबंटिती को दुकान के भीतर एवं आस–पास के स्थान को स्वच्छ रखना होगा अन्यथा दुकान का लाइसेंस निरस्त किया जा सकेगा।

13. आबंटिती केवल आबंटन किये गये स्थान में ही व्यवसाय करेगा। आबंटित स्थान से बाहर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण पाये जाने पर दुकान का लाइसेंस निरस्त किया जा सकेगा।

14. आबंटित स्थान पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन लगाया जाना प्रतिबंधित है। आबंटिती केवल अपनी दुकान से संबंधित विज्ञापन निर्धारित आकार में लगायेगा।

15. आबंटिती द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुसार करों का भुगतान किया जावेगा।

16. आबंटिती दुकान में मादक, विस्फोटक या विधि द्वारा वर्जित अन्य कोई वस्तु का संग्रहण या क्रय या विक्रय नहीं किया जावेगा।

17. आबंटिती द्वारा सुरक्षा, स्वच्छता एवं अन्य नियमों का पालन किया जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

नया रायपुर मंत्रालय परिसर में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए आरक्षित दुकानों के आबंटन हेतु आवेदन

पासपोर्ट आकार का स्वप्रमाणित फोटो चिपकाएं

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकार
नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी
रायपुर (छ.ग.)

विषय :— नया रायपुर मंत्रालय परिसर में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए आरक्षित दुकानों के आबंटन हेतु आवेदन

संदर्भ:— विज्ञापन कमांक 6428/478/9—सीईपी/एनआरडीए/2012 रायपुर, दिनांक 17.10.2012

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त दुकानों में से एक दुकान का आबंटन .... प्रयोजन हेतु निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत प्राप्त करने हेतु निम्नांकित जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ —

1. आवेदक का नााम :— ....
2. पिता का नाम :— ....
3. माता का नाम :— ....
4. पत्नी/पति का नाम :— ....
5. जाति :— ....
6. वर्ग :— ....
   (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग/सामान्य)
7. जन्मतिथि :— ....
8. शैक्षणिक योग्यता :— ....
9. वर्तमान व्यवसाय :— ....
10. पूर्ण पता :— ....
    (1) ग्राम :— ....
    (2) पोस्ट ऑफिस :— ....
    (3) तहसील :— ....
    (4) पिन कोड :— ....
    (5) फोन/मोबाईल नं. :— ....
    ....

11.	एनआरडीए को हस्तांतरित भूमि का विवरणः– (कृपया प्रमाण पत्र संलग्न करें।)		
	(1) गॉव का नाम	:–	....
	(2) हल्का		
	(3) भूमि स्वामी का नाम		
	(4) क्षेत्रफल	:–	.... एकड़ में
	(5)खसरा नंबर	:–	....
	(6) एनआरडीए को हस्तांतरित वर्ष	:–	....
	(7) प्राप्त मुआवजे की राशि		....
12.	प्राप्त मुआवजे से अन्य भूमि कय की गई हो तो उसका विवरण	:–	....
	(1) गॉव का नाम	:–	....
	(2) हल्का	:–	
	(3) भूमि स्वामी का नाम	:–	
	(4) क्षेत्रफल	:–	.... एकड़ में
	(5) खसरा नंबर	:–	....
	(6) कय वर्ष	:–	

घोषणा

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि ऊपर वर्णित जानकारी पूर्णतः सत्य है। कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने की स्थिति में मेरा आवेदन निरस्त किया जावे एवं मेरे विरूद्ध की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही मुझे मान्य होगी।

दिनांक :–

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर

नाम ....

पता ....

....

....

विज्ञापन कमांक 6428/478/9–सीईपी/एनआरडीए/2012 *रायपुर, दिनांक 17.10.2012*

<u>अनुसूची – 1</u>

नक्शा

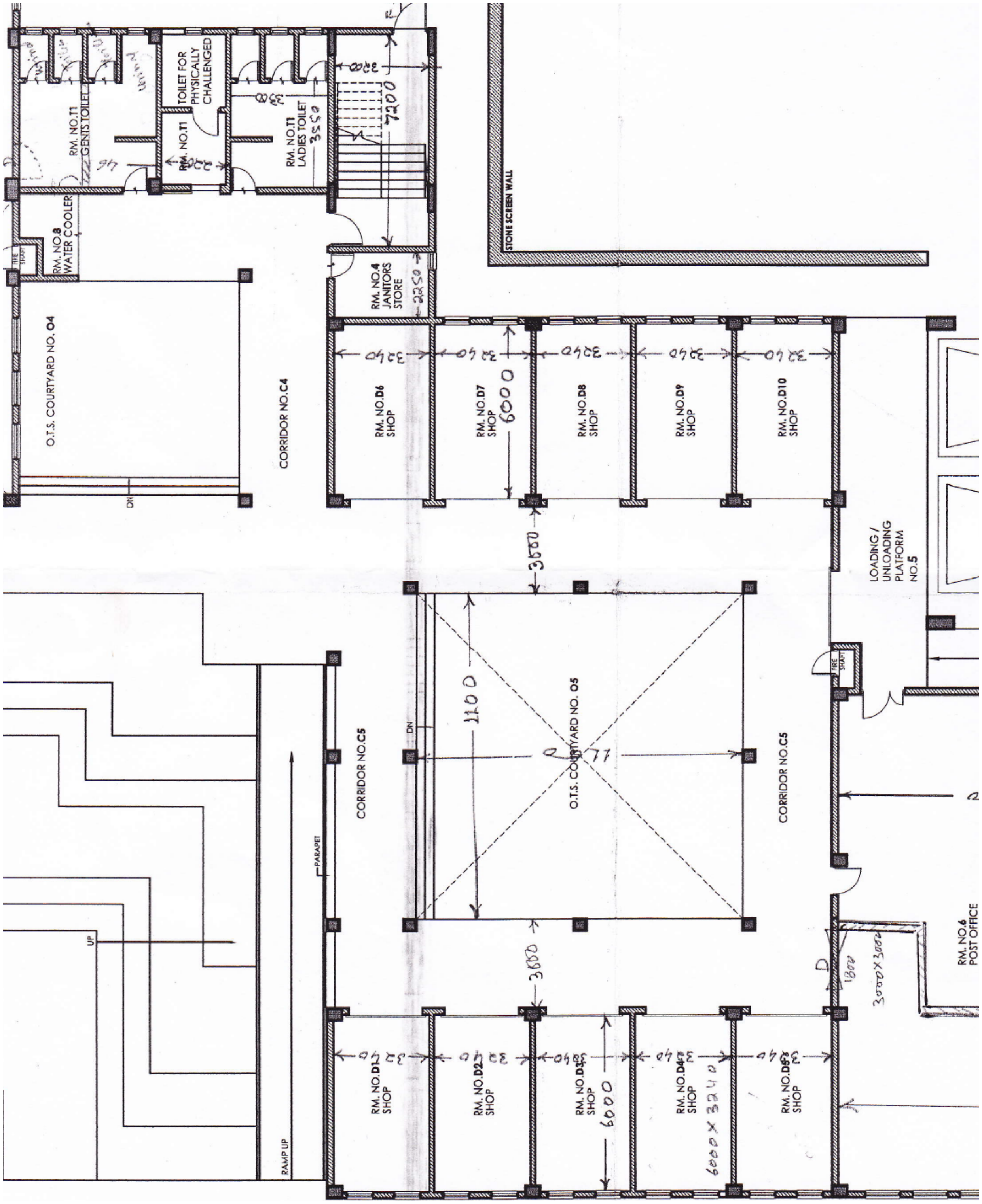

विज्ञापन क्रमांक 6428/478/9–सीईपी/एनआरडीए/2012 *रायपुर, दिनांक 17.10.2012*